

बईजलास - श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 22/2019

दायर दिनांक :- 07.02.2019

अनवान

श्री छगना पिता श्रीकिशन कीर नि. बालापुरा तह. जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री उगमा पिता छोटू कीर नि. बालापुरा तह. जहाजपुर
2. श्री रामधन पिता लादू कीर नि. बालापुरा तह. जहाजपुर
3. श्री सोराम पिता गीला कीर नि. बालापुरा तह. जहाजपुर
4. श्रीमति चन्ता पत्नि रामेश्वर मीणा नि. प्रतापपुरा तह. जहाजपुर
5. श्री सुवा पिता श्रवण कीर नि. बालापुरा तह. जहाजपुर
6. श्री महावीर पिता कजोड कीर नि. बालापुरा तह. जहाजपुर
7. श्री जगदीश पिता बालू कीर नि. बालापुरा तह. जहाजपुर
8. श्री रामप्रसाद पिता खाना कीर नि. बालापुरा तह. जहाजपुर
9. श्री सूरजमल पिता भूरा मीणा नि. प्रतापपुरा तह. जहाजपुर
10. श्री रामदेव पिता बालू गुर्जर नि. गांगीथला तह. जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 17.03.2020

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम अखेपुरा प० ह० बिहाडा तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 6 रकबा 4.16 बीघा तथा ग्राम बालापुरा प.ह. बिहाडा की आ.न. 9 रकबा 0.04 बीघा, आ.न. 11 रकबा 1.17 बीघा, आ.न. 14 रकबा 4.02 बीघा, आ.न. 17 रकबा 0.15 बीघा, आ.न. 18 रकबा 5.08 बीघा, आ.न. 20 रकबा 4.05 बीघा, आ.न. 21 रकबा 3.07 बीघा, आ.न. 230 रकबा 5.04 बीघा कुल कित्ता 08 रकबा 25.02 बीघा तथा ग्राम बालापुरा की आ.न. 13 रकबा 1.07 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें स्थायी सीमा की जानकारी नहीं होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम अखेपुरा प० ह० बिहाडा तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 6 रकबा 4.16 बीघा तथा ग्राम बालापुरा प.ह. बिहाडा की आ.न. 9 रकबा 0.04 बीघा, आ.न. 11 रकबा 1.17 बीघा, आ.न. 14 रकबा 4.02 बीघा, आ.न. 17 रकबा 0.15 बीघा, आ.न. 18 रकबा 5.08 बीघा, आ.न. 20 रकबा 4.05 बीघा, आ.न. 21 रकबा 3.07 बीघा, आ.न. 230 रकबा 5.04 बीघा कुल कित्ता 08 रकबा 25.02 बीघा तथा ग्राम बालापुरा की आ.न. 13 रकबा 1.07 बीघा भूमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरमाढी करने हेतु भु. अभिलेख निरीक्षक कुराडिया का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 2500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी,

जहाजपुर (भीलवाड़ा)

